



2026:AHC:127145

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 19748 वर्ष 2026

डॉ. नीरज कुमार..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : भुवनेश कुमार सिंह, जितेंद्र सिंह

प्रतिपक्षीपक्षगण के अधिवक्ता : आर्यन राठौर, शासकीय अधिवक्ता, हिमांशु तिवारी

न्यायालय सं - 45

माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार सिंह

1. श्री भुवनेश्वर कुमार सिंह के लिए संक्षिप्त (brief) धारण करने वाले श्री अभिषेक तिवारी, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, सूचक (informant) की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद तिवारी के साथ श्री हिमांशु तिवारी, तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (A.G.A.) को सुना गया।
2. प्रस्तुत जमानत याचिका दायर की गई है जिसमें केस अपराध संख्या-56 वर्ष 2026 में धारा 103(1), 61(2) बी.एन.एस., थाना नगीना, जिला बिजनौर के तहत जमानत पर आवेदक को रिहा करने की मांग की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और प्रस्तुत मामले में उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। आवेदक का नाम दिनांक 6.3.2026 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नहीं है। सह-आरोपी विकास @ छोड़ के खिलाफ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। कथित घटना 5.3.2026 को 18:45 बजे हुई थी, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट 6.5.2026 को 02:33 बजे दर्ज की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अत्यधिक विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। सह-आरोपी विकास @ छोड़ के इकबालिया बयान में आवेदक का नाम प्रकाश में आया था। आवेदक इस मामले में साजिशकर्ताओं में से एक है। आरोप है कि आवेदक द्वारा मृतक की हत्या के लिए आरोपी विकास @ छोड़ को पैसे दिए गए थे, लेकिन पुलिस इस संबंध में कोई सबूत इकट्ठा करने में विफल रही। दौरान ए विवेचना किसी भी गवाह ने यह नहीं बताया कि सह-आरोपी विकास @ छोड़ आवेदक के घर जाता था। दौरान ए विवेचना विवेचनाधिकारी द्वारा आवेदक और सह-आरोपी विकास @ छोड़ के बीच बातचीत दिखाने वाला कोई कॉल डिटेल अभिलेखों एकत्र नहीं किया गया था। आवेदक के खिलाफ कथित अपराध से जोड़ने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। सह-आरोपी आर्यन @ राजन, जिसे प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं किया गया था और जिसका नाम सह-आरोपी विकास @ छोड़ द्वारा लिया गया था, को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-12548 वर्ष 2026 में दिनांक 15.4.2026 के आदेश के माध्यम से जमानत दे दी गई है, जिसकी एक प्रति आवेदन के साथ अनुलग्नक-13 के रूप में संलग्न की गई है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक 7.3.2026 से जेल में बंद है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

4. ततस्य विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि अपराध में उसकी संलिप्तता के संबंध में आवेदक के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए, वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि मृतक की मां ने पहले ही आवेदक का नाम ले लिया है जब विवेचनाधिकारी द्वारा उसका बयान दर्ज किया गया था। उसने कहा कि आवेदक ने आपराधिक साजिश रची है और मृतक की हत्या की है।

5. मैंने पक्षगण के प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।



6. दिनांक 6.3.2026 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम नहीं है और उसका नाम पहली बार सह-आरोपी विकास @ छोटू के इकबालिया बयान में सामने आया था, जिसके खिलाफ गोली चलाने का मुख्य आरोप लगाया गया है। अन्य सह-अभियुक्त, आर्यन @ राजन, जिसे प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी नामित नहीं किया गया था, को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 15.4.2026 के आदेश द्वारा जमानत दे दी गई है। प्रस्तुत मामले में आरोप पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।

7. पक्षों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेखों पर लाए गए साक्ष्य, आवेदक द्वारा की गई कैद की अवधि, किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि की अनुपस्थिति, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय ने पाया कि आवेदक ने जमानत देने के लिए एक मामला बनाया है।

8. तदनुसार, जमानत आवेदन की अनुमति दी जाती है।

9. आवेदक-डॉ. नीरज कुमार, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल हैं, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि में दो-दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि को कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त की चूक के मामले में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार आदेश पारित किया जाएगा।

(ii) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति के मामले में, पर्याप्त कारण के बिना, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क/बी.एन.एस. के तहत कार्रवाई कर सकता है।



(iii) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता/84 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174-ए/बी.एन.एस. की धारा 209 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

(iv) आवेदक (1) मामले कि शुरुआत, (2) आरोप तय करने और (3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313/351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए इस तरह की चूक को जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

15 जून 2026

ललित शुक्ला